U;k;ky; HkwizcU/k vf/kdkjh ,oa inu jktLo vihy
izkf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 29@2009

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुख्य कार्याय तिलक मार्ग जयुपर जरिये शाखाप्रबंधक सादुलशहर शाखा ।

vihykV

cuke

1.सत्यनारायण उर्फ संतलाल पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।

2.इन्द्रचंद पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।

3.केशुराम पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।

4.सुभाष पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।

5.नौरंग पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।

6.धनश्याम पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।

7.हरीराम उर्फ औकांरमल पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।

8.तहसीलदार राजगढ चूरू ।

रेस्पोडेन्टस

9. मुन्नीदेवी पत्नी पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख ।

10.रोहताश पुत्र तारा पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी मोतीसिह की ढाणी तहसील तारानगर जिला चूरू ।

11.धर्माराम पुत्र तारा पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी मोतीसिह की ढाणी तहसील तारानगर जिला चूरू ।

12.नीता पुत्री तारा पत्नी विनोद जाति ब्राहमण निवासी ब्राहमणों की ढाणी तहसील व जिला झूझूनू ।

13.मेवा पुत्री पोकरराम पत्नी जगदीश प्रसाद शासत्री जाति ब्राहमण निवासी बडवा हाल निवासी सी 36 बरकतनगर विस्तार अर्जुननगर फाटक के पास टोंक रोड जयपुर

14.तुलसा पुत्री पोकरराम पत्नी हीरालाल महर्षि जाति ब्राहमण निवासी ललाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

15.रूकमणी पुत्री पोकरराम पत्नी प्रहलादराम जाति ब्राहमण निवासी कोहली तहसील आदमपुर जिला हिसार ।

16.पूर्णमल पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।

xk.k jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री ओ पी खींची मैनेजर अपीलांट

2.श्री पंकज शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; lgk;d dyDVj jktx< d fu.k;o ikjfEHkd fMØh fnukd 28-07-2009 d fo:} vihy vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

<u>fu.k;</u> दिनांकः—25.05.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील सहायक कलक्टर राजगढ के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.07.2009 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 570 तादादी 45.10 बीघा, ख0न0 283 तादादी 4.01 बीघा जिसके हाल ख0न0 735 तादादी 37.11 बीघा ख0न0 447 तादादी 1.10 बीघा कुल तादादी 39.06 बीधा वाके रोही ग्राम सिद्वमुख के प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2009 के विरूद्व अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है की रेस्पो0 सं0 1 ता 3 द्वारा एक दावा सहायक कलक्टर राजगढ में घोषणात्मक, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का इस आधार पर पेश किया

कि रूडाराम के नाम से खाता था व रूडाराम ने पोकरराम को गोद लिया । वादगत भूमि वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी भूमि थी जिस पर उनका जन्म से ही हिस्सा था । रेस्पो0 सं0 4 ता 7 ने जवाब दावा में कथन किया कि पोकरराम द्वारा वादगत भूमि की वसीयत कर दी थी जिससे वसीयत के आधार पर हरिराम रेस्पो0 सं0 7 विवादित सम्पति का मालिक बन गया । पोकरराम द्वारा अपनी वसीयत में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि पोकरराम का हरिराम के अलावा अन्य किसी लडके साथ संयुक्त परिवार नही था । वे उनको अलग अलग जायदादे देकर अलग कर चुके थे । चूंकि रूडराम ने पोकरराम को गोद लिया था ओर गोद के आधार पर उसे विवादित सम्पति मिली थी इस प्रकार उक्त सम्पति उसकी स्वयं अर्जीत सम्पति थी ओर वह उस सम्पति का अकेला मालिक था । उसमें किसी भी पुत्र या पोत्र का हिस्सा न तो था ओर ना हो हि सकता था । दिनांक 14.07.2005 को सभी पक्षकारों के मध्य पंचायत हुई इन पक्षकारान के बिच बैंक सामिल नही था पचायत के निर्णय के बाद दावा वादीगण चलने योग्य नही रहा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पोकरराम द्वारा की गयी वसीयत को प्रभाव शुन्य घोषित कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नही था । पोकरराम को रूडाराम से कृषि भूमि प्राप्त हुई थी इस आधार पर पोकरराम को वसीयत करने का अधिकार था । हिन्दु विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सम्पति की वसीयत कर सकता है ओर धारा 30 हिन्दु सेक्शन एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि संयुक्त हिन्दु परिवार ही सम्पति होने पर भी कोई भी सहिस्सेदार अपने हिस्से की सम्पति की वसीयत करवा सकता है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई विचार न कर सीधे ही पोकरराम द्वारा की वसीयत को प्रभाव शुन्य घोषित कर दिया ओर रेस्पो0 सं0 1 ता 3 का वादगत सम्पति में हिस्सा न होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय का बंटवारे की डिक्री कर देना कानून विरूद्व है । पोकरराम का स्वर्गवास दिनांक 05.05. 2003 को हो गया था उसके बाद राजस्व रेकार्ड में वसीयत के आधार पर हरिराम के नाम तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण कर दिया गया ओर उसी नामान्तरकरण के आधार पर बैक द्वारा सम्पति को बंधक करके ऋण दे दिया गया । बैंक का ऋण मारने की नियत से यह दावा मिलीभगत से करवाया हुआ है । जब सम्पति बैंक में बंध की हुई है बंधक को शुन्य घोषित करवाये बिना वाद लाया ही नही जा सकता । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.09 को खारिज किया जावे । अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 570 तादादी 45.10 बीघा, ख0न0 283 तादादी 4.01 बीघा जिसके हाल ख0न0 735 तादादी 37.11 बीघा ख0न0 447 तादादी 1.10 बीघा कुल तादादी 39.06 बीधा वाके रोही ग्राम सिद्वमुख में स्थित है । जिसके संबंध में खातेदार पोकरराम ने एक फर्जी वसीयत दिनांक 10.04.2002 को रेस्पो0 सं0 4 ता 6 के पक्ष में उपंपजीयंक सिवानी के समक्ष पंजीकृत करवाई जिसको अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा शुन्य घोषित कर रेस्पो0 सं0 1 ता 3 व रेस्पो0 सं0 7 एवम गोण रेस्पो0 सं0 16 पूर्णमल को 11/60, 11/60 एवं गोण रेस्पो0 सं 9, 13 ता

15 को 1/60 1/60 हिस्सा व गोण रेस्पों0 सं0 10 ता 12 बहिस्सा 1/60 के खातेदार घोषित कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश पारित किया है । पोकरराम अपनी मृत्यु तक सिद्वमुख में रहा तथा वसीयत के गवाह ग्राम बडवा हरियाणा के रहे है । जिस कारण वसीयत की स्थिति संदेहजनक रही है । रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश राजगढ चूरू दिवानी वाद सं0 21/05 निर्णय दिनांक 28.02.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के द्वारा वादी सत्यनारायण के द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया एवं पोकरराम पुत्र जीवणराम द्वारा जारी वसीयत को अवैध प्रभाव शुन्य व निरस्त घोषित की जाती है । जिसका अंकन उपपंजीयक कार्यालय सिवानी जिला भिवानी हरियाणा को रजिस्ट्रर्ड प्रलेख क्रमांक 4 बही सं00 3 पृष्ठ सं0 164 दिनांक 10.04.02 पर लाल स्याही से प्रविष्टि किये जाने हेतु तहरीर जारी की जाती है एवं वादी प्रतिवादी सं 4 क स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलपुर को रहन राशि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 से वसूल करने के अधिकारी होगें । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2009 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश राजगढ चूरू दिवानी वाद सं0 21/05 निर्णय दिनांक 28.02.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के द्वारा वादी सत्यनारायण के द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया एवं पोकरराम पुत्र जीवणराम द्वारा जारी वसीयत को अवैध प्रभाव शुन्य व निरस्त घोषित की जाती है । जिसका अंकन उपपंजीयक कार्यालय सिवानी जिला भिवानी हरियाणा को रजिस्ट्रर्ड प्रलेख क्रमांक 4 बही सं00 3 पृष्ठ सं0 164 दिनांक 10.04.02 पर लाल स्याही से प्रविष्टि किये जाने हेतु तहरीर जारी की जाती है एवं वादी प्रतिवादी सं 4 क स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलपुर को रहन राशि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 से वसूल करने के अधिकारी होगें । रेस्पो0 सं0 4 ता 6 द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सवंत 2073–76 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 सं0 4 ता 6 द्वारा स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलपुर को रहन राशि जमा करवा जमा रसीद दिनांक 18.12.2021 पेश कर वादगत भूमि को रहन मुक्त करवा लिया हे ।
5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2009 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 25.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkkxhj\U/k vf/kdkjh ,oa
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj